

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION II]

F. No. I-14011/19/2024-IPS-I (E) (II)

Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 17.12.2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of the Sikkim Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the **Sikkim** Cadre under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:

Select List 2023

Sl.No	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Shammi Rai	05.10.1970
2.	Kunzang Dorjee Shangderpa	28.06.1967
3.	Paljor Wangyal Shenga	14.04.1968

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per the rule of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, and the officers will obtain induction training as per sub-rule 5(4) of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, as amended dated 10.05.2011.


(Sanjeev Kumar)

Under Secretary to the Government of India
Tel. 011-23094517

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Minto Road, New Delhi-110064
(Through the e-portal)

No. I-14011/19/2024-IPS.I (E) (II)

New Delhi, Date: 17.12.2024

A copy each is forwarded to:

1. Chief Secretary, G/o Sikkim, Gangtok—with the request that the officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.
2. Secretary, UPSC, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi—for information.
3. Director General of Police, Government of Sikkim, Gangtok.
4. Accountant General, Government of Sikkim, Gangtok.
5. Sr. Tech. Dir. (NIC) for placing on MHA IPS Portal under link https://ips.gov.in/Sl_Sikkim.aspx and in the 'What's New' section under the heading Select List 2023-Sikkim.


(Sanjeev Kumar)

Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र भाग-I खंड II में प्रकाशनार्थ]

संख्या. I-14011/19/2024-IPS-I (इ) (II)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2024

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्किम पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत सिक्किम संवर्ग प्रदान करते हैं:

चयन सूची-2023

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम श्री/श्रीमती	जन्म तिथि
1.	शम्मी राय	05.10.1970
2.	कुंजांग दोरजी शंगदरपा	28.06.1967
3.	पलजोर वांग्याल शेंगा	14.04.1968

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा विनियम (परीवीक्षा), 1954 के तहत एक वर्ष के लिये परीवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा विनियम (परीवीक्षा), 1954 के नियम 5(4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष- 011-23094517

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

संख्या. I-14011/19/2024-IPS I (इ) (II)

नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2024

- मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार, गंगटोक - यह अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए।
- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
- पुलिस महानिदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक।
- महालेखापाल, सिक्किम सरकार, गंगटोक।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु under link https://ips.gov.in/Sl_Sikkim.aspx और 'What's New' Section under heading **Select List 2023 -Sikkim.**


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार